न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 49/2018 G.C.M.S. No. 2018/00159 वर्ज दिनांक : 18.06.2018

अपीलार्थिगण:

1. मृत भंवरसिंह पुत्र ओगड़सिंहजी के वारिसान:–
   1/1. सरजूदेवी पत्नी भंवरसिंहजी
   1/2. राजूसिंह पुत्र भंवरसिंहजी
   1/3. समन्दरसिंह पुत्र भंवरसिंहजी
   1/4. महेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंहजी
   1/5. पूर्णिमा पुत्री भंवरसिंहजी, जातिगण राजपुरोहित निवासीगण निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर।
2. प्रेमसिंह पुत्र ओगड़सिंहजी
3. गोपालसिंह पुत्र ओगड़सिंहजी
4. भगवानसिंह पुत्र ओगड़सिहजी
5. मृत अगरादेवी पत्नी ओगड़सिंहजी
   (मृत्तक के वारिसान अपीलाण्ट्स के रूप में पहले से ही रेकर्ड पर है)
   जातिगण राजपुरोहित निवासीगण निमाज तहसील जैतारण जिला ब्यावर।

प्रत्यर्थिगण:

बनाम

1. मृत सम्पतसिंह पुत्र घीसूसिंहजी
   1/1. सुशीला पुत्री संपतसिंहजी, पत्नी तेजेन्द्रपालसिंहजी निवासी मेघवालों का बास, नौरवा, तहसील भाद्राजून जिला जालोर (राज.)
2. मोतीसिंह पुत्र घीसूसिंहजी
3. मृत गणपतसिंह पुत्र घीसूसिंहजी के विधिक वारिसान:–
   3अ. लक्ष्मणसिंह पुत्र गणपतसिंहजी निवासी गांव निमाज हाल हाउस नंबर 1–9–202/29/2ए तल्लुरी, मल्टीप्लेक्स रोड़, हनुमान नगर कॉलोनी, कुसाईगुड़ा, हैदराबाद 500062 (तेलंगाना) 3ए. नारायणसिंह पुत्र गणपतसिंहजी निवासी गांव निमाज हाल नन्दी पैकिंग, आई.डी.ए., फैक्ट्री प्लॉट नंबर 158/ए. फैज 3, जेडीमिटला, हैदराबाद (तेलंगाना)
   3बी. मृत हुकमसिंह पुत्र गणपतसिंहजी निवासी गांव निमाज के विधिक वारिसान:–
   3बी/1. नितु पत्नि हुकमसिंहजी
   3बी/2. योगेश पुत्र हुकमसिंहजी
   3बी/3. दिक्षिता पुत्री हुकमसिंहजी
   जातिगण पुरोहित निवासीगण निमाज हाल 26–47 चाण्कयपुरी कॉलोनी, साफिलगुडा, वी.टी.सी. मलकाजगिरी जिला केवी रंगारेड्डी, तेलंगाना 533047
4. मनोजकुमार पुत्र बादरमलजी
5. अशोककुमार पुत्र बादरमलजी
6. मृत धापूदेवी पत्नी खींयाजी के वारिसान:–
   6/1. मृत मांगीलाल पुत्र खींवसिंहजी के विधिक वारिसान:–

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

6/1/1 सुमित्रा पत्नी स्व. मांगीलालजी
6/1/2. प्रवीणसिंह पुत्र स्व. मांगीलालजी
6/1/3. देवेन्द्रसिंह पुत्र स्व. मांगीलालजी
6/1/4. नितिन पुत्र स्व. मांगीलालजी
6/2. चम्पादेवी पुत्री खींवसिंहजी
6/3. कमलादेवी पुत्री खींवसिंहजी
6/4. उषादेवी पुत्री खींवसिंहजी, जातिगण पुरोहित निवासीगण निमाज तहसील जैतारण
7. राज. राज्य जरिए जिला कलेक्टर (पंजीयक), पाली
8. उप पंजीयक, जैतारण।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 114/2001 बअनवान भंवरसिंह वगैरह बनाम संपतसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 एवं सपठित धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री पी.एम. जोशी, श्री विक्रम कुमार शर्मा, श्री एस.पी. व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

निर्णय

दिनांक: 30.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 114/2001 बअनवान भंवरसिंह वगैरह बनाम संपतसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प निमाज में पेश होने बाबत अपीलाण्ट्स अथवा अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता को न तो सूचित किया गया, न ही नोटिस दिया गया एवं बिना किसी सूचना के ही उपरोक्त कैम्प निमाज में पेश होना बताकर अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति बताते हुए अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से पेश आवेदन आदेश 22 नियम 9 के आवेदन पर उपरोक्त वादी अपीलाण्ट संख्या एक भंवरसिंहजी की मृत्यु होने और उनके कायम मुकामात् को रेकर्ड पर लाने हेतु आवेदन पेश नहीं किए जाने से वाद को एबेट मानते हुए संपूर्ण वाद को खारिज कर दिया। क्योंकि किसी भी वाद में एक से अधिक वादीगण अथवा एक से अधिक प्रतिवादीगण होने पर उनमें से किसी एक की मृत्यु होने पर संपूर्ण वाद एबेट नहीं होकर के उक्त मृत्तक की हद तक ही वाद एबेट हो सकता है। उपरोक्त विधिक स्थिति के बावजूद भी बिना कोई फाईन्डिंग दिए ही सीधे ही संपूर्ण वाद को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व तथ्यों की भारी भूल की हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा अनेकानेक निर्णयो में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिए जाने में न्यायालय को कठोर रूख नहीं अपनाना चाहिए और वाद को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए कि अंदर अवधि कायम मुकाम को रेकर्ड पर नहीं लिया गया। अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता द्वारा अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि अपीलाण्ट्स का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट निमाज में खारिज कर दिया है। हाल ही में माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में दिनांक 9.4.18 को अपीलाण्ट संख्या 4 जैतारण कचहरी में किसी कार्यवश गया हुआ था तब वहां पर अधिवक्ता महोदय मिल गए, जिनसे मुकदमे की प्रगति बाबत जानकारी की तो उन्होंने लोक अदालत कैम्प कोर्ट के बाद पत्रावलियां नियमित नहीं होने बाबत बताया, जिस पर उक्त वादी द्वारा अधिवक्ता महोदय को निवेदन किया कि काफी लंबा समय हो गया है, मुकदमे की जानकारी करके बताई जावें, तब उनकी ओर से जानकारी की, तब बताया गया कि वाद को कैम्प कोर्ट निमाज में ही खारिज कर दिया गया है, जिस पर उसी दिन नकलों हेतु आवेदन किया और नकलें दिनांक 10.4.18 को प्राप्त हुई, तत्पश्चात् सभी वादीगण को सूचना दी, क्योंकि कुछ वादीगण बाहर रहते हैं और सबको बुलाकर सलाह–मशविरा का विधिक राय ली तब अपील किए जाने बाबत सलाह दी गई, जिस पर उपरोक्त अपील पेश की जा रही है इससे पूर्व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं थी ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 9.4.18 को होने से एवं प्रमाणित प्रतिलिपि 10.4.18 को प्राप्त होने से अंदर अवधि 60 दिन के उपरोक्त अपील पेश की जा रही हैं। आवेदन अलग से पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 को जरिये अबेटमेंट खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील हस्तगत अपील दिनांक 04.05.2018 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। विलंबकाल माफ करने के लिए अपीलांट द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं दी गई थीं कि अपीलाण्ट्स का वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट निमाज में खारिज कर दिया है। हाल ही में माह अप्रैल के प्रथम सप्ताह में दिनांक 9.4.18 को अपीलाण्ट संख्या 4 जैतारण कचहरी में किसी कार्यवश गया हुआ था तब वहां पर अधिवक्ता महोदय मिल गए, जिनसे मुकदमे की प्रगति बाबत जानकारी की तो उन्होंने लोक अदालत कैम्प कोर्ट के बाद पत्रावलियां नियमित नहीं होने बाबत बताया, जिस पर उक्त वादी द्वारा अधिवक्ता महोदय को निवेदन किया कि काफी लंबा समय हो गया है, मुकदमे की जानकारी करके बताई जावें, तब उनकी ओर से जानकारी की, तब बताया गया कि वाद को कैम्प कोर्ट निमाज में ही खारिज कर दिया गया है, जिस पर उसी दिन नकलों हेतु आवेदन किया और नकलें दिनांक 10.4.18 को प्राप्त हुई, तत्पश्चात् सभी वादीगण को सूचना दी, क्योंकि कुछ वादीगण बाहर रहते हैं और सबको बुलाकर सलाह–मशविरा का विधिक राय ली तब अपील किए जाने बाबत सलाह दी गई, जिस पर उपरोक्त अपील पेश की जा रही है इससे पूर्व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं थी ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 9.4.18 को होने से एवं प्रमाणित प्रतिलिपि 10.4.18 को प्राप्त होने से अंदर अवधि 60 दिन के उपरोक्त अपील पेश की जा रही हैं।

2. हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की गैर–मौजूदगी में राजस्व लोक अदालत में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः निर्णय दिनांक से जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। साथ ही प्रकरण का निर्णयन कठोर तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रकरण में अपीलांट की लापरवाही से विलंब होना साबित नहीं हैं। अतः प्रार्थना पत्र सारवान होने से स्वीकार कर विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली मृतक वादी भंवरसिंह के कायम मुकाम में नियत थीं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प निमाज में दिनांक 30.06.2017 को अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 वादीगण की गैर–मौजूदगी में स्वीकार कर वादी भंवरसिंह का दिनांक 25.11.2015 को स्वर्गवास हो जाने एवं वादीगण द्वारा 90 दिवस के भीतर कायम मुकाम कार्यवाही नहीं करने से वादपत्र अबेट होने से खारिज किया गया। हमारे विनम्र मत में प्रथम तो प्रकरण में मृतक वादी भंवरसिंह के अलावा भी 4 अन्य वादी भी हैं। अतः संपूर्ण वादपत्र अबेट नहीं हो सकता। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत में अपीलांट्स की गैर–मौजूदगी में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

पारित की गई हैं। जो विधिसम्मत नहीं हैं। साथ ही न्यायालय को प्रकरणों के गुणावगुण पर निर्णयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए न कि कठोर तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर वादपत्र खारिज किया जाना चाहिए। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं। लिहाजा, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए विलंबकाल माफ करते हुए अबेटमेंट को अपास्त कर मृतक वादी भंवरसिंह के कायम मुकाम को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

4. प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा असालतन/वकालतन उपस्थित होकर राजीनामा मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर हस्ताक्षर किए एवं अपील मंजूर करते हुए वादपत्र मुताबिक राजीनामा एवं नजरी नक्शा के निर्णित किए जाने हेतु निवेदन किया। चूंकि प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया जा चुका है। अतः मुताबिक राजीनामा अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को पक्षकारान द्वारा निष्पादित मूल राजीनामा मय नक्शा प्रेषित कर मुताबिक राजीनामा प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किए जाने के निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुताबिक राजीनामा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण द्वारा राजस्व वाद संख्या 114/2001 बअनवान भंवरसिंह वगैरह बनाम संपतसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2017 को अपास्त कर, मृतक वादी भंवरसिंह के कायम मुकाम के प्रकरण में विलंबकाल माफ करते हुए, अबेटमेंट को अपास्त किया जाकर, मृतक भंवरसिंह के विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लिया जाकर उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मूल राजीनामा मय नक्शा के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मुताबिक राजीनामा मय नक्शा प्रकरण विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.01.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर जैतारण में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ मूल राजीनामा मय नक्शा दिनांक 14.08.2025 अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner